UPSR010004852026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP02008

अग्रिम जमानत आवेदन नं०-183/2026

सकीना पत्नी सलीम,

निवासी–ग्राम–चन्दर्खा बुजुर्ग, थाना–सोनवा, जिला–श्रावस्ती।

............आवेदिका / अभियुक्ता

प्रति

राज्य उ0 प्र0 ....अभियोगी

अ0सं0–47 / 2025
धारा–363 आई0पी0सी0
थाना–सोनवा, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 18.03.2026

निस्तारण अग्रिम जमानत आवेदन

1– अग्रिम जमानत आवेदन आवेदिका / अभियुक्ता **सकीना** की ओर से अपराध संख्या 47 / 2025, धारा 363 आई0पी0सी0, थाना सोनवा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन के अनुसार आवेदिका / अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपपत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

3– सम्बन्धित आरोपपत्र के सम्बन्ध में पत्रावली आहूत की गयी जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका / अभियुक्ता के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा सम्मन निर्गत किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदिका / अभियुक्ता की प्रथम दृष्ट्या गिरफ्तारी की कोई सम्भावना नहीं है।

इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Srikant Upadhyay and Others vs. State of Bihar and Another** के सुसंगत अंश का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:–

a very pertinent observations have been made with regard to the powers of the Court to grant anticipatory bail under Section 438 of CrPC. It has been observed that -“9. It is thus obvious from the catena of decisions dealing with bail that even

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.18 14:45:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

while clarifying that arrest should be the last option and it should be restricted to cases where arrest is imperative in the facts and circumstances of a case, the consistent view is that the grant of anticipatory bail shall be restricted to exceptional circumstances. In other words, the position is that the power to grant anticipatory bail under Section 438, Cr. PC is an exceptional power and should be exercised only in exceptional cases and not as a matter of course.

4– स्वीकृत रूप से वर्तमान प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन निर्गत किया गया है जिसके सम्बन्ध में आवेदिका/अभियुक्ता सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना प्रकारान्तर से सम्बन्धित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण की श्रेणी में माना जायेगा जो न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त के अनुक्रम में आवेदिका/अभियुक्ता सकीना का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 18.03.2026